

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
NOTIFICATION
New Delhi, the 2nd December, 2020

RULES

No.45012/43/2020-Pers.I -The Rules for a Limited Departmental Competitive Examination to be held by the Union Public Service Commission in **2021** for the purpose of filling vacancies of Assistant Commandants (Executive) in Central Industrial Security Force (CISF) **for the vacancy year 2021** are published for general information:

1. The number of vacancies to be filled on the results of the examination will be specified in the Notice issued by the Commission. Reservation will be made for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in respect of vacancies as may be fixed by the Government.

2. The examination will be conducted by the Union Public Service Commission in the manner prescribed in Appendix I to these rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held, shall be fixed by the Commission.

3. The candidates should have completed 04 years of regular service as on 01st January, 2021 in the rank of Sub. Inspector (GD)/Inspector(GD) including the period of basic training and **should have clean record of service** till issue of offer of appointment.

4. A candidate must not have attained the age of 35 years on the 01st August, 2021 i.e. he/she must have been born not earlier than 02nd August 1986. However, the upper age limit prescribed above shall be relaxable upto a maximum of five years if a candidate belongs to a Schedule Caste or a Schedule Tribe.

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMITS PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED.

5. Every candidates appearing at the examination who is otherwise eligible, shall be permitted three attempts at the examination.

6. The Educational Qualification for appearing in the Limited Departmental Competitive Examination will be a Graduation from a recognized University.

7. Possession of NCC 'B' or 'C' Certificate will be a desirable qualification. These desirable qualifications will be given consideration at the time of interview/Personality Test only.

8. Candidates must meet the prescribed Physical and Medical standards for admission to the Limited Departmental Competitive Examination for selection of Assistant Commandant (Executive) in CISF, 2021 specified in Appendix-II of these Rules.

9. After the Notification of the Rules of the Examination in the Gazette of India by Ministry of Home Affairs and Notification of Examination by the Commission, the candidates will have to fill in the application form on-line on the UPSC's web-site and a hard copy of the same are to be routed through proper channel to the CISF authorities for verification and onwards transmission to the Commission. The scrutiny of applications for deciding the eligibility of candidates with reference to the stipulated eligibility conditions will be done by the Central Industrial Security Force. However, the decision of the Commission as to the acceptance of the application of a candidate and his/her eligibility or otherwise for admission to the examination shall be final.

10. The candidates applying for the Examination should ensure that they fulfil all the eligibility conditions for admission to the Examination. Their admission at all the stages of Examination for which they are admitted by the Commission viz. Written Examination, Physical and Medical Standard Tests or Personality/Interview Tests will be purely **provisional** subject to their satisfying the prescribed eligibility conditions. If on verification at any time before or after the Written Examination, Physical and Medical Standard Tests or Personality/Interview Tests, it is found that they do not fulfil any of eligibility conditions; their candidature for the Examination will be **cancelled**.

11. Admit Card of the admitted candidates to this Examination will be uploaded in the UPSC website two weeks before the date of examination and can be downloaded by the eligible candidates. No paper e-Admit Card will be issued by the Commission. Candidates shall not be admitted to the examination unless he/she holds a downloaded e-Admit Card.

12. A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of:-

- (i) Obtaining support for his/her candidature by the following means, namely:-
 - (a) offering illegal gratification to, or
 - (b) applying pressure on, or
 - (c) blackmailing, or threatening to blackmail any person connected with the conduct of the examination, or
- (ii) Impersonating, or
- (iii) Procuring impersonation by any person, or
- (iv) Submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or
- (v) Uploading irrelevant photos in the application form in place of actual photo/signature.
- (vi) Making statements which are incorrect or false or suppressing material information, or
- (vii) Resorting to the following means in connection with his/her candidature for the examination, namely
 - (a) obtaining copy of question paper through improper means,
 - (b) finding out the particulars of the persons connected with secret work relating to the Examination,

- (c) influencing the examiners, or
- (viii) being in possession of or using unfair means during the Examination, or
- (ix) writing obscene matter or drawing obscene sketches or writing irrelevant matter in the scripts, or
- (x) misbehaving in the examination hall including tearing of the scripts, provoking fellow examinees to boycott Examination, creating disorderly scene and the like, or
- (xi) harassing or doing bodily harm to the staff employed by the Commission for the conduct of their Examinations, or
- (xii) being in possession of or using any mobile phone (even in switched off mode), pager or any electronic equipment or device or programmable device or storage media like pen drive, smart watches etc. or camera or Bluetooth devices or any other equipment or related accessories either in working or switched off mode capable of being used as a communication device during the Examination, or
- (xiii) violating any of the instructions issued to candidates along with their e-admission certificates permitting them to take the examination, or
- (xiv) attempting to commit or as the case may be, abetting the commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses may, in addition to rendering himself/herself liable to criminal prosecution, be liable:
 - (a) and shall be disqualified by the Commission from the Examination held under this Rule for which he/she is a candidate and/or
 - (b) shall be liable to be debarred either permanently or for a specified period
 - (i) by the Commission from any Examination or selection held by it.
 - (ii) by the Central Government from any employment under them, and for any disciplinary action under the appropriate rules.

Provided that no penalty under these rules shall be imposed except after

- (i) Giving the candidate an opportunity of making such representation, in writing as he/she may wish to make in that behalf; and
- (ii) Taking the representation, if any, submitted by the candidate within the period allowed to him/her into consideration.

12(1) Any person who is found by the Commission to be guilty of colluding with a candidate(s) in committing or abetting the commission of any of the misdeeds listed at the clauses (i) to (xiii) above render himself liable to action in terms of the clause (xiv).

13.(1) Candidates who obtain such minimum qualifying marks in the written Examination as may be fixed by the Commission in their discretion shall be summoned for the Physical Standards/Physical Efficiency Tests and Medical Standard Tests by CISF to check whether they meet the Physical and Medical Standards specified in Appendix II to these Rules :

13.(2) Commission retains discretion to fix minimum qualifying standards in any or all of the papers at any stage and retains discretion to evaluate conventional papers of only those candidates who secure minimum qualifying standards in the objective paper, as may be determined by the Commission in its discretion.

13.(3) Provided that candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes may be summoned for the Physical Standards/Physical Efficiency and Medical Standard Tests by applying relaxed standards if the Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these categories are not likely to be summoned for the Physical Standards/Physical Efficiency Tests and Medical Standards Tests on the basis of the general standard in written examination in order to fill up the vacancies reserved for them.

13.(4) Those candidates who meet the prescribed Physical Standards as specified in Appendix II to these Rules, will be put through Physical Efficiency Test (PET) as indicated below :

PHYSICAL EFFICIENCY TEST (PET)

	<u>Males</u>	<u>Females</u>
(a) 100 Meters race	In 16 seconds	In 18 Seconds
(b) 800 Meters race	In 3 minutes 45 Seconds	In 4 minutes 45 Seconds
(c) Long Jump	3.5 Meters (3 chances)	3.0 Meters (3 chances)
(d) Shot Put (7.26 Kgs.)	4.50 Meters	-----

These Tests will be only of qualifying nature and will not carry any marks. Failure even in one of these tests will amount to disqualification.

Pregnancy at the time of PET will be a disqualification and pregnant female candidates will be rejected.

13.(5) Medical Standards Tests, to check the standards specified in Appendix-II, will be conducted only in respect of candidates who are declared qualified in the Physical Efficiency Tests. Candidates will either be declared "**FIT**" or "**UNFIT**" in the Medical Standard Tests. Those candidates who are declared '**UNFIT**' in the Medical Standard Tests will be allowed to appear before the Review Medical Board on their appeals by the Appellate Authority.

13.(6) The Physical Standards/Physical Efficiency Tests and Medical Standard Tests will be conducted under the supervision of CISF. These tests will be conducted at various centres to be notified after the results of the written Examination.

13.(7) Appeals will be entertained only against the Medical Standards Tests and will have to be made to the Appellate Authority designated by the Ministry of Home Affairs within a period of 15 days from the date of declaration of the result of these tests.

13.(8) Candidates, who are declared qualified in the Medical Standards Tests, will be called for the Interview/Personality Test to be conducted by the Union Public Service Commission. Candidates, who are declared medically unfit but allowed to appear before the "Review Medical Board" on their appeal by the Appellate Authority will be called for Interview/Personality Tests provisionally. The Interview/Personality Test will carry 200 marks.

13.(9) The Interview/Personality Test would be conducted by a Board of competent and unbiased persons who will have before them a record of the candidates. The candidate will be asked questions both in his/her own field as well as matters of general interest to test his/her awareness and understanding. In broad terms, this will be an assessment of not only his/her mental calibre but also his/her social traits and integrity of character. The Board would broadly assess the candidate inter-alia in the following :

- (i) Physical Make-up
 - (a) Appearance
 - (b) Bearing
 - (c) Manners and Mannerism
- (ii) General Intelligence, Aptitude and Interest
 - (a) Ability to perceive, analyse and present facts and situation.
 - (b) Work related aptitudes, like discipline, empathy etc.
 - (c) Extra-curricular activities-participation in games, sports, debates etc.
- (iii) Disposition
 - (a) Leadership, drive, determination, quick decision making etc.
 - (b) Self-reliance.
 - (c) Ability to face stress and crisis.
 - (d) Courage-moral and physical.
- (iv) Behavioural aspect of personality
 - (a) Inter-personal relations with superiors and subordinates.
 - (b) Commitment to values, integrity, secular and national orientation.

13.(10) The candidature of such candidates who do not qualify at the Physical Standards/Physical Efficiency Tests or Medical Standards Tests is liable for cancellation.

14. (1) After the Interview, candidates will be arranged by the Commission in order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate and in that order so many candidates as are found by the Commission to be qualified at the Examination shall be recommended for appointment up to the number of unreserved vacancies decided to be filled on the results of the examination.

14.(2) The candidates belonging to any of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes may to the extent of the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes be recommended by the Commission by a relaxed standard, subject to the fitness of these candidates for selection to the Post.

Provided that the candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes who have not availed themselves of any of the concessions or relaxations in the eligibility or the selection criteria, at any stage of the Examination and who after taking into account the general qualifying standards are found fit for recommendation by the Commission shall not be recommended against the vacancies reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

Further provided that the candidates who qualify in the order of merit but the results of whose medical standards test are pending will be recommended provisionally.

15. The form and manner of communication of the result of the Examination to individual candidates shall be decided by the Commission in their discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

16. A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the discharge of his/her duties as an officer of the service. A candidate, who after such medical examination as Government or the appointing authority, as the case may be, may prescribe, is found not to satisfy these requirements will not be appointed. The candidate should be in SHAPE-1 medical category during Annual Medical Examination-2020 (should be valid upto August-2021) as specified in CISF Circular No.(145) dated 28.01.2009.

17. The list of finally selected candidates would be forwarded by the Commission to Ministry of Home Affairs/Directorate General, CISF for issue of offer of appointment to the post of Assistant Commandants (Executive) for training and medical examination. The selected candidates shall undergo training at the training centre of the Force and will remain on probation for a period of two years.

18. No TA/DA/Journey expenses will be allowed to the candidates for attending the Exam at any stage.

{ MS Dabas }
Under Secretary to Government of India

Scheme and Syllabus of the Written Examination for the Limited Departmental Competitive Examination for the post of Assistant Commandants in Central Industrial Security Force

(I) Scheme of Written Examination:

The written Examination to be conducted by Union Public Service Commission will comprise two papers as follows:

Paper-1 General ability and Intelligence and Professional Skill, (300 marks) (150 questions) (2 ½ hours)

This paper will be of Objective Type (Multiple Choice Questions) in which the questions will be set in English as well as Hindi. The paper will comprise two parts as follows:-

Part-A: General Ability and Intelligence - 150 Marks
(75 Questions)

Part-B : Professional Skill - 150 Marks
(75 Questions)

Paper II : Essay, Precis Writing and Comprehension - 100 Marks (2 hours)

In this paper candidates will be allowed the option of writing the Essay Component in English or Hindi, but the medium of Précis Writing and Comprehension Components will be English only.

NOTE-1 : Candidates should ensure that in Paper II they write the Answers only in the Medium allowed by the Commission for the different components as mentioned above. No credit will be given for answers written in a medium other than the one allowed in the Paper.

NOTE-2 : Candidates will be required to indicate the medium of writing the Essay Component in the Attendance List and on the Answer Book. No credit will be given for the Essay Component if the candidate indicates a medium on the Attendance List and on the Answer Book other than the one in which he/she has written the Essay.

NOTE-3: There will be minimum qualifying marks separately in each Paper as may be fixed by the Commission.

NOTE-4: The Commission will declare a list of candidates qualified in the written Exam. The CISF will conduct Physical Efficiency Test first and thereafter the Medical Efficiency Test of only those candidates will be conducted who are declared qualified in the Physical Efficiency Test.

NOTE-5: The candidates who qualify in the Medical Examination and Physical Efficiency Test shall be required to appear for Personality Test/Interview to be conducted by the Commission.

On completion of above process, a final merit list of candidates shall be prepared and be sent to the CISF authority for taking further course of action.

(II) Syllabi of the Written Papers:-

Paper I : General Ability and Intelligence and Professional Skill.

PART-A : General Ability and Intelligence: The objective type questions with multiple choices in this paper will broadly cover the following areas:

1. General Mental Ability

The questions will be designed to test the logical reasoning, quantitative aptitude including numerical ability and data interpretation.

2. General Science

The questions will be set to test general awareness, scientific temper, comprehension and appreciation of scientific phenomena of everyday observation including new areas of importance like Information Technology, Biotechnology and Environmental Science.

3. Current Events of National and International Importance:

The questions will test the candidates' awareness of current events of national and international importance in the broad areas of culture, music, arts, literature, sports, governance, societal and developmental issues, industry, business, globalisation and interplay among nations.

4. General Awareness:

The questions shall aim to test candidates' general awareness and would inter-alia include question to test basic knowledge of history of India, Indian and World Geography as well as Indian Polity and Economy.

PART-B : Professional Skill

This test will be designed to test professional skills of the candidates in relation to operational and administrative requirement of the Central Industrial Security Force and will broadly cover the following areas:

1. CISF related professional skills

- Industrial Security;
- Industrial Safety and fire fighting;
- Disaster Management;
- Aviation Security
- Crime and Intelligence-Espionage, Sabotage, Subversion;
- Perimeter Security
- Security of vital installations-DAE, Metro Rail, Space;
- Use of Technical Gadgets-Alarm, detection, intrusion, Access control, fire safety;
- Bomb disposal;
- VIP Security
- Internal Security and Election duties.

2. Law

- Cr.PC (Search, Seizure and unlawful assembly)
- IPC (Theft, mischief, breach of trust, corruption etc.)
- Evidence Act (Search, seizure & collection of evidence)
- Labour Laws (Industrial Disputes Act, Workmen Compensation Act, EPF Act.)
- Other Criminal Offences.
- Human Rights.

3. Computer Skills and Awareness

- Computer Security
- Basic computer operations
- Basic hardware and software

4. Service Rules and HR matters

- CCA Rules
- CISF Act and Rules
- HR functions related to CISF

Paper II : Essay, Précis Writing and Comprehension

This paper shall test candidates' ability to bring to fore his/her ideas on the given essay topic, arrange them in a coherent, orderly, concise, understandable and lucid manner in effective and grammatically correct language free from spelling errors.

Further, this shall test candidates' ability to understand the given passages for précis-writing and comprehension and their skills to summarise the précis passage and reply to the short-answered questions on the comprehension passage.

APPENDIX-II

PHYSICAL AND MEDICAL STANDARDS FOR THE CANDIDATE FOR THE POST OF ASSISTANT COMMANDANTS IN THE CISF SELECTED THROUGH LIMITED DEPARTMENTAL COMPETITIVE EXAMINATION-2021

APPENDIX-II(A)

(1) Physical Standards:

The Minimum requirements for the candidate (for all categories) are as follows:

	Men	Women
Height	165 cms (Gen & SC)	157 Cms (Gen & SC)
	162.5 cms (ST)	154 cms (ST)
Chest (unexpanded)	81 cms (with 5 cm minimum expansion)	Not applicable
Weight	Corresponding to height	Corresponding to height
Medical	SHAPE-1	SHAPE-1

Moreover, the weight should be as per the height and age as mentioned in APPENDIX-II(B).

(2) Medical Standards:

(a) Eye Sight :

	Better eye (Corrected vision)	Worse eye (Corrected vision)
Distant Vision	6/6 OR 6/9	6/12 6/9
Near vision	J1 (corrected)	J2 (corrected)

The candidate should not have squint of any degree and should have high colour vision. The candidate will be tested for colour vision by Ishahara's test as well as Edridge-Green Lantern Test. Eyes should be bright, clear with no abnormality/disease. Movements of eyeballs should be full and free in all direction. In every case of Myopia, fundus examination should be carried out and the results should be recorded. Contact lenses or laser surgery is not allowed.

(b) **Carrying angle**

Carrying angle should not be more than 15° for male and 20° for female.

(c) **Ear**

i) Candidate should not have any degree of deafness or persistent ear discharge.

ii) Candidate should not have any other condition (congenital or acquired) like atresia of the meatus, exostosis, neoplasm which is causing obstruction of ear passage and should not have history or recurrent earache, tinnitus and vertigo.

(d) **Nose** : Candidate should not have DNS, atrophic rhinitis, tubercular ulceration, chronic sinusitis.

(e) **Neck** : Candidate should not have enlarged lymph nodes, thyroid or other swelling of neck, inability to extend the neck fully or any evidence of disease of spine or cervical vertebrae.

(f) **Teeth**: Candidate must possess sufficient number of sound teeth for efficient mastication. Candidate should not have severe pyorrhea.

(g) **Venereal Disease**: Candidate should not have active signs of clinical VD.

(h) **Chronic skin diseases**: Candidate should not have chronic skin diseases like Leprosy, chronic dermatitis, extensive Pityriasis Versicolor, psoriasis, SLE etc.

(3) **General Standards** :

- a) Speech should be without impediment i.e. no stammering.
- b) The candidate should not have any indication of chronic disease like TB, any type of arthritis, high blood pressure, Diabetes, Bronchial Asthma, any heart disease.
- c) Candidate should not have perceptible and visible glandular swelling anywhere in the body.
- d) Chest should be well formed, devoid of any abnormality like flat chest, pigeon chest, with rickety rosary defects. Heart and lungs should be sound.
- e) Limbs, hands and feet should be well formed and fully developed and there shall be perfect motion of all joints.
- f) Should not have any old/mal united fracture of bones.
- g) There should be free and perfect movements of all the joints.
- h) Feet and toes should be well formed.
- i) Should not have congenital malformation or defects.
- j) Should not bear traces of previous acute or chronic disease pointing to any impaired constitution.
- k) Candidate should have no disease of the genito-urinary tract.
- l) Candidate should have no inguinal, scrotal swelling, any type of Hernia.

- m) (Only for male) Both the testicles are in the scrotum and of normal size.
 - n) The candidate must not have knock knees, flat foot, varicose veins.
 - o) They must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of the duties.
- (4) Candidate should not suffer from TACHYCARDIA (more than 100 pulse rate per minute) or BRADYCARDIA (less than 50 per minute).
- (5) Candidate should not suffer from Hernia, hemorrhoids, condylomata prolapse rectum.

Note :- 1. Medical Examination will be conducted as per revised uniform guidelines issued by MHA UO dated 20.05.2015 for recruitment of GO's and NGO's in the CAPFs & AR.

2. Candidates will either be declared "FIT" or "UNFIT" in the Medical Standard Tests. Those candidates who are declared 'UNFIT' in the Medical Standard Tests will be allowed to appear before the Review Medical Board on their appeals by the Appellate Authority.

Male Average Body Weights in Kilograms for different Age Groups and Heights

Height in CMs	Age in years			
	18-22	23-27	28-32	33-37
156	44-54	46-56	47-58	48-59
158	45-55	47-57	48.5-59.5	49.5-60.5
160	46-56	47.7-58.5	49.5-60.5	50.5-61.5
162	47-58	49-60	50.5-61.5	52-63
164	48-59	50-61	52-63.5	53-65
166	49.5-60.5	51.5-62.5	53-65	54.5-66.5
168	51-62	52.5-64.5	54.5-66.5	56-68
170	52-64	54-66	56-68	57.5-70.5
172	54-66	55.5-67.5	57-70	59-72
174	55-67	57-70	59-72	61-74.5
176	56.5-69	58.5-71.5	60.5-73.5	62-76
178	57.5-70.5	60-73	61.5-75.5	63.5-77.5
180	59-72	61-75	63.5-77.5	65.5-80
182	61-74.5	62.5-76.5	65-79	66.5-81.5
184	63-77	64.5-78.5	66.5-81.5	68.5-83.5
186	63.5-77.5	65.5-80.5	68-83	70-86
188	65-79	67.5-82.5	70-85.5	71.5-87.5
190	66-81	68.5-83.5	70.5-86.5	72.5-88.5

Female Average body Weights in Kilograms for Different Age Group and Heights

Height in CMs	Age in years			
	18-22	23-27	28-32	33-37
148	34.5-42.5	37-45	38.5-47	39.5-48.5
150	36.5-44.5	37.5-45.5	39-48	40.5-49.5
153	38-46	39-48	41-50	42-51
155	38.5-47.5	40-49	41.5-50.5	43-52.5
158	40.5-49.5	42-51	43-53	44.5-54.5
160	41.5-50.5	43-52.5	44-54	45.5-54.5
163	43-52.5	44-54	46-56	47-57
165	44-54	45.5-55.5	47-58	48.5-59.5
168	45-55	47-57	48.5-59.5	49.5-60.5

The body weights are given in this chart corresponding to only certain heights (in cms). In respect of height in between, the principle of 'Average' may be utilized for calculating body weights.

For calculating average weight beyond the heights tabulated, 0.71 Kg for every one cm of increase or decrease in height may be added or subtracted respectively.

गृह मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली - 02 दिसम्बर, 2020

नियमावली

संख्या. 45012/43/2020/कार्मिक.1- केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) में रिक्ति वर्ष 2021 में सहायक कमाण्डेंट के पदों को भरने हेतु संघ लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2021 में आयोजित की जाने वाली सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा की नियमावली सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है:-

1. परीक्षा के परिणाम के आधार पर भरी जाने वाले रिक्तियों की संख्या आयोग द्वारा जारी नोटिस में निर्दिष्ट की जाएगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से संबद्ध उम्मीदवारों की रिक्तियों के संबंध में आरक्षण सरकार द्वारा नियत किया जाएगा।

2. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा इस परीक्षा का आयोजन इस नियमावली के परिशिष्ट-I में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। परीक्षा कब और कहां होगी यह आयोग द्वारा निश्चित किया जाएगा।

3. 01 जनवरी, 2021 को अभ्यर्थी की, प्रशिक्षण अवधि सहित, उपनिरीक्षक(जीडी)/ निरीक्षक(जीडी) रैंक में 04 वर्ष की नियमित सेवा पूरी होनी चाहिए। अभ्यर्थी की सेवा लेखा नियुक्ति पत्र जारी होने तक निष्कलक होना चाहिए।

4. उम्मीदवार की आयु 01 अगस्त, 2021 को 35 वर्ष पूरी नहीं होनी चाहिए। अर्थात् उसका जन्म 02 अगस्त, 1986 से पहले न हुआ हो। हलांकि उपर्युक्त निर्धारित उपरी आयु सीमा का जहां तक संबंध है अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थी को 05 वर्ष की अधिकतम छूट प्रदान की जाएगी।

उपर्युक्त व्यवस्था को छोड़कर निर्धारित आयु सीमा में किसी भी परिस्थिति में छूट नहीं दी जाएगी।

5. प्रत्येक अभ्यर्थी जो एल.डी.सी.ई. (ए.सी.) में भाग लेने का पात्र है, उसे कुल 03 (तीन) मौके दिए जाएंगे।

6. सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने के लिए शैक्षणिक अर्हता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर की होनी चाहिए।

7. एनसीसी 'बी' अथवा 'सी' प्रमाणपत्र होना एक वांछनीय अर्हता है । इन वांछनीय अर्हताओं पर विचार केवल साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के समय किया जाएगा ।

8. नियमावली के परिशिष्ट -II में विनिर्दिष्ट केओसुब 2021 में सहायक कमांडेन्ट (कार्यकारी) के चयन हेतु सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी को निर्धारित शारीरिक तथा चिकित्सीय मानक पूरे करने होंगे ।

9. गृह मंत्रालय द्वारा भारत के राजपत्र में परीक्षा के नियमों की सूची जारी होने और आयोग द्वारा परीक्षा की अधिसूचना जारी होने के बाद अभ्यर्थी संघ लोक सेवा आयोग की वेब साइट पर ऑन लाइन आवेदन भरेगा तथा उसकी एक प्रति (हार्ड कॉपी) उचित माध्यम से केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल प्राधिकारियों को सत्यापन के लिए प्रस्तुत करेगा जिसे आगे आयोग को भेजा जाएगा । निर्धारित पात्रता शर्तों के अनुसार अभ्यर्थियों की पात्रता का निर्धारण करने के लिए आवेदनों की जांच केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा की जाएगी । हालांकि परीक्षा में प्रवेश के लिए किसी भी उम्मीदवार का आवेदन स्वीकार करने तथा उसकी पात्रता अथवा अन्यथा के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग का निर्णय अंतिम होगा ।

10. परीक्षा में आवेदन करने वाले उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर लें कि वे परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए पात्रता की सभी शर्तें पूरी करते हैं । परीक्षा के उन सभी स्तरों, जिनके लिए आयोग ने उन्हें प्रवेश दिया है अर्थात् लिखित परीक्षा, शारीरिक एवं चिकित्सीय मानक परीक्षा अथवा व्यक्तित्व/साक्षात्कार परीक्षा में उनका प्रवेश पूर्णतः अंतिम होगा, जो उनके निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने के अधीन होगा । यदि लिखित परीक्षा, शारीरिक एवं चिकित्सीय मानक परीक्षाओं या व्यक्तित्व/साक्षात्कार परीक्षा के पहले या बाद में सत्यापन करने पर यह पता चलता है कि वे पात्रता शर्तों में से कोई पूरी नहीं करते हैं तो परीक्षा के लिए उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी ।

11. इस परीक्षा में प्रवेश के लिए आने वाले उम्मीदवारों को प्रवेश प्रमाण-पत्र परीक्षा की तारीख से दो सप्ताह पहले संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा जिसे पात्र उम्मीदवारों द्वारा डाऊनलोड किया जा सकता है । पेपर वाला कोई ई-प्रवेश प्रमाण-पत्र आयोग द्वारा जारी नहीं किया जाएगा । जब तक उम्मीदवार के पास डाऊनलोड किया हुआ ई-प्रवेश प्रमाण-पत्र नहीं होगा तब तक उन्हें परीक्षा में प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा ।

12. जो उम्मीदवार आयोग द्वारा निम्नलिखित कदाचार का दोषी है या जिसे दोषी घोषित किया जा चुका है:-

- (i) निम्नलिखित माध्यमों से अपनी उम्मीदवारी का समर्थन प्राप्त कराना जैसे :
 - (क) अवैध परितोषण देना, या
 - (ख) किसी पर दबाव डालना, या
 - (ग) परीक्षा के संचालन से संबंधित किसी व्यक्ति को ब्लैकमेल करना या ब्लैकमेल करने की धमकी देना ।
- (ii) किसी व्यक्ति के स्थान पर स्वयं प्रस्तुत होना, या
- (iii) अपने स्थान पर किसी दूसरे को प्रस्तुत करना, या

- (iv) जाली दस्तावेज या फेर-बदल किए दस्तावेज प्रस्तुत करना, या
- (v) वास्तविक फोटो/हस्ताक्षर के स्थान पर आवेदन पत्र में असंगत फोटो अपलोड करना, या
- (vi) अशुद्ध या असत्य वक्तव्य देना या महत्वपूर्ण सूचना को छिपा कर रखना, या
- (vii) परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में निम्नलिखित उपाय अपनाना, जैसे
- (क) अनुचित साधनों से प्रश्न पत्र की प्रति प्राप्त करना, या
- (ख) परीक्षा से संबंधित गोपनीय कार्य के संबंध में व्यक्तियों के विवरण ढूंढना, किसी पर दबाव डालना, या
- (ग) परीक्षकों पर प्रभाव डालना, अथवा
- (viii) परीक्षा के समय अनुचित तरीके अपनाना या उन्हें धारण करना, या
- (ix) उत्तर पुस्तिकाओं पर अश्लील बातें लिखना या अश्लील आरेख बनाना, अथवा परीक्षा के समय अनुचित तरीके अपनाना, या
- (x) परीक्षा भवन में किसी प्रकार का दुर्व्यवहार करना जिसमें उत्तर पुस्तिकाओं को फाड़ना, साथी परीक्षार्थियों को परीक्षा का बहिष्कार करने को उकसाना, उपद्रवी दृश्य उत्पन्न करना तथा इसी प्रकार से अन्य बातें शामिल हैं, अथवा
- (xi) परीक्षा के संचालन हेतु आयोग द्वारा नियुक्त स्टाफ को परेशान करना या शारीरिक क्षति पहुंचाना, अथवा
- (xii) परीक्षा के दौरान कोई सेल्यूलर/मोबाइल फोन/पेजर या किसी अन्य प्रकार का इलैक्ट्रॉनिक उपकरण या यंत्र अथवा संचार यंत्र या प्रोग्रामेबल डिवाइस या स्टोरेज मीडिया का उपयोग करना, जैसे पेन ड्राइव, स्मार्ट घड़ियाँ या कैमरा या ब्लूटूथ डिवाइस या किसी अन्य उपकरण या संबंधित सामान या तो काम करना या बंद मोड में, के रूप में प्रयोग किए जा सकने वाला प्रयोग करते हुए या अपने पास रखे पाया गया हो, या
- (xiii) उम्मीदवारों को परीक्षा देने की अनुमति देते हुए ई-प्रवेश प्रमाण पत्र के साथ जारी किए गए किसी अनुदेश का उल्लंघन करना या,
- (xiv) उपर खण्डों में उल्लेखित सभी या किसी कदाचार को करने की कोशिश करने या करने लिए उकसाने या जैसा भी मामला हो, करने हेतु बढ़ावा देने पर तो उन पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रॉसिक्यूशन) चलाए जा सकने के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे और उसके साथ ही उन्हें:
- (क) आयोग द्वारा उस परीक्षा से जिसका वह उम्मीदवार है, बैठने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है, अथवा
- (ख) स्थायी रूप अथवा एक विशेष अवधि के लिए बाहर किया जा सकता है।
- (i) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए ।
- (ii) केन्द्र सरकार द्वारा उनके अधीन किसी नौकरी से विवर्जित तथा उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।
- बशर्ते कि इन नियमों के अन्तर्गत निम्नलिखित के बिना किसी भी प्रकार का जुर्माना नहीं लगाया जा सकता:

- (i) उम्मीदवार को इस सम्बंध में लिखित अभ्यावेदन जो वह देना चाहे प्रस्तुत करने का अवसर न दिया गया हो और
- (ii) उम्मीदवार द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार न कर लिया गया हो ।

12(1) कोई भी व्यक्ति, जो आयोग द्वारा उप नियम/खंड (i) से (xiii) में उल्लिखित कुकृत्यों में से किसी कुकृत्य को करने में किसी अन्य उम्मीदवार के साथ मिलीभगत या सहयोग का दोषी पाया जाता है, उसके विरुद्ध उप नियम/खंड (xiv) के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है ।

13(1) जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में आयोग द्वारा उनके विवेकाधिकार से निर्धारित किए गए ऐसे न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त कर लेते हैं उन्हें के.ओ.सुब द्वारा शारीरिक मानदण्ड /शारीरिक दक्षता परीक्षण तथा चिकित्सीय मानदण्ड परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा जिससे यह जांच हो सके कि क्या वे इस नियमावली के परिशिष्ट-11 में विनिर्दिष्ट शारीरिक और चिकित्सीय मानदण्डों को पूरा करते हैं ।

13(2) किसी भी स्तर पर किसी अथवा सभी प्रश्नपत्रों में न्यूनतम अर्हक मानदंड निर्धारित करने का विवेकाधिकार आयोग के पास है तथा केवल ऐसे अभ्यर्थियों के औपचारिक प्रश्न पत्रों जिसमें उन्होंने आयोग के विवेकाधिकार द्वारा निर्धारित ऐसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न-पत्रों में न्यूनतम अर्हक मानदंड प्राप्त किए हो, मूल्यांकन करने का अधिकार आयोग के पास है ।

13(3) परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को मानकों में छूट प्रदान करते हुए शारीरिक मानदंड/शारीरिक क्षमता तथा चिकित्सा मानक परीक्षा के लिए बुलाया जाए यदि आयोग को ऐसा लगे कि इनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए लिखित परीक्षा में सामान्य मानकों के आधार पर शारीरिक मानक/शारीरिक क्षमता परीक्षा तथा चिकित्सा मानक परीक्षाओं के लिए इन श्रेणियों से आवेदकों की पर्याप्त संख्या मिलने की संभावना नहीं है ।

13(4) वे उम्मीदवार जो इस नियमावली के परिशिष्ट-11 विनिर्धारित शारीरिक मानदण्डों को पूरा करते हैं उनका शारीरिक दक्षता परीक्षण (पी.ई.टी.) किया जाएगा जिसे नीचे दर्शाया गया है:-

शारीरिक दक्षता परीक्षण(पी.ई.टी.)

		पुरुष	महिला
(क)	100 मीटर दौड़	16 सैकण्ड में	18 सैकण्ड में
(ख)	800 मीटर दौड़	3 मिनट 45 सैकण्ड में	4 मिनट 45 सैकण्ड में
(ग)	लम्बी कूद	3.5 मीटर (3 अवसर)	3 मीटर (3 अवसर)
(ड)	गोला फेंकना(शॉट पुट) (7.26 किलो)	4.50 मीटर	--

ये परीक्षण केवल अर्हता प्रकृति के होंगे और इनके कोई अंक नहीं होंगे । इन परीक्षणों में से किसी भी परीक्षण में असफलता अयोग्यता होगी ।

शारीरिक दक्षता परीक्षण (पीईटी) के समय गर्भावस्था एक अयोग्यता होगी और गर्भवती महिला उम्मीदवार को अस्वीकृत कर दिया जाएगा ।

13(5) जो उम्मीदवार शारीरिक दक्षता परीक्षण में अर्हक घोषित किए गए जाते हैं केवल उन उम्मीदवार का ही चिकित्सा मानदण्ड परीक्षण किया जाएगा जिससे यह सुनिश्चित हो जाए कि वे इस नियमावली के परिशिष्ट-11 में निर्धारित चिकित्सा मानदण्डों को पूरा करते हैं । उम्मीदवार को चिकित्सा मानदण्ड में “योग्य” या “अयोग्य” घोषित किया जायेगा। जो उम्मीदवार चिकित्सा मानदण्ड परीक्षणों में “अयोग्य” घोषित किये जाते हैं उन्हें अपील करने पर अपीलीय प्राधिकारी द्वारा “समीक्षा चिकित्सा बोर्ड ” के समक्ष उपस्थित होने की अनुमति दी जायेगी।

13(6) शारीरिक मानदंड/शारीरिक दक्षता परीक्षण (पीईटी) एवं चिकित्सा मानदंड परीक्षण का संचालन केओसुब के पर्यवेक्षण में होगा । ये परीक्षण विभिन्न केन्द्रों में आयोजित किए जाएंगे जिन्हें लिखित परीक्षा परिणाम के बाद अधिसूचित किया जाएगा ।

13(7) केवल चिकित्सा मानदण्ड परीक्षणों के विरुद्ध अपील स्वीकार की जाएगी जो इन परीक्षणों के परिणाम घोषित होने के 15 दिन की अवधि के अंदर गृह मंत्रालय द्वारा नामोदिष्ट अपीलीय प्राधिकारी को की जानी चाहिए ।

13(8) जिन उम्मीदवारों को चिकित्सा मानदण्ड परीक्षणों में अर्हक घोषित किया जाता है उन्हें संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा । वे उम्मीदवार जो चिकित्सीय आधार पर अयोग्य घोषित किए जाते हैं किन्तु उन्हें उनकी अपील के आधार पर अपीलीय प्राधिकारी द्वारा “समीक्षा चिकित्सा बोर्ड” के समक्ष उपस्थित होने की अनुमति दी जाती है, उन्हें साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के लिए अनंतिम रूप से बुलाया जाएगा । साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण 200 अंकों का होगा ।

13(9) साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण सक्षम तथा निष्पक्ष व्यक्तियों के बोर्ड द्वारा आयोजित किया जाएगा जिनके समक्ष उम्मीदवारों के जीवन-वृत्त का रिकार्ड होगा । उम्मीदवार से प्रश्न उनके संबंधित क्षेत्र के साथ-साथ सामान्य अभिरूचि के विषयों से पूछे जाएंगे ताकि उनका/उनकी जानकारी और समझ की जांच हो सके । विस्तृत अर्थों में यह न केवल उनकी मानसिक योग्यता बल्कि उनके सामाजिक गुणों और चरित्र की सत्यनिष्ठा का मूल्यांकन होगा । बोर्ड विस्तृत रूप से अन्य बातों के साथ-साथ उम्मीदवार का निम्नलिखित मूल्यांकन करेगा:

- (i) शारीरिक बनावट
 - (क) आकृति
 - (ख) आचरण
 - (ग) शिष्टाचार एवं शिष्टता

- (ii) सामान्य बुद्धिमत्ता, अभिरूचि एवं रूचि
- (क) तथ्यों एवं स्थितियों को समझने उनका विश्लेषण करने तथा उनको प्रस्तुत करने की योग्यता ।
 - (ख) अभिरूचि कार्य से संबंधित जैसे अनुशासन, सहानुभूति आदि
 - (ग) पाठ्येतर गतिविधियां - खेलों, खेल-कूद वाद-विवादों आदि में भागीदारी ।
- (iii) मनोवृत्ति
- (क) नेतृत्व, संचालन, संकल्प, शीघ्र निर्णय लेना आदि
 - (ख) आत्म निर्भरता
 - (ग) तनाव एवं संकट का सामना करने की योग्यता
 - (घ) साहस-नैतिक एवं शारीरिक
- (iv) व्यक्तित्व का व्यवहारिक पहलू
- (क) उच्चाधिकारियों तथा अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ अंतःव्यक्तिक संबंध
 - (ख) मूल्यां, सत्यनिष्ठा, धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्रीय अभिमुखीकरण के प्रति वचनबद्धता

13(10) ऐसे उम्मीदवार जो शारीरिक मानदण्ड/शारीरिक दक्षता परीक्षणों या चिकित्सा मानदण्डों परीक्षणों में अर्हता प्राप्त नहीं करते हैं उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है ।

14(1) साक्षात्कार के बाद, परीक्षा में प्रत्येक उम्मीदवार को अन्तिम रूप से प्रदान किए गये कुल अंकों के आधार पर आयोग द्वारा उम्मीदवारों को योग्यता क्रम में व्यवस्थित किया जायेगा और तत्पश्चात आयोग अनारक्षित पदों पर उम्मीदवारों की अनुशंसा हेतु परीक्षा के आधार पर भरी जाने वाली अनारक्षित रिक्तियों के संदर्भ में अर्हक अंक निर्धारित करेगा ।

14(2) आरक्षित रिक्तियों पर अ.जा. और अ.ज.जा. के आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को अनुशंसित करने के उद्देश्य से परीक्षा के आधार पर इन प्रत्येक वर्गों के लिए भरे जाने वाली आरक्षित रिक्तियों के संदर्भ में आयोग अर्हक मानक में छूट दे सकता है ।

बशर्ते कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्गों से संबंधित उम्मीदवार जिन्होंने परीक्षा के किसी भी स्तर पर पात्रता या चयन मानदंड में किसी भी प्रकार की रियायत या छूट का उपभोग नहीं किया है तथा वे उम्मीदवार जो आयोग द्वारा सामान्य अर्हक मानक के आधार पर अनुशंसा के लिए योग्य पाए गए हैं को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्गों के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए अनुशंसित नहीं किया जाएगा।

और बशर्ते कि जो उम्मीदवार योग्यता क्रम सूची में अर्हता प्राप्त करते हैं परन्तु जिनका चिकित्सा मानदण्ड परीक्षण का परीक्षाफल लम्बित है, उनको अस्थायी संस्तुति दी जाएगी ।

15. प्रत्येक उम्मीदवार की परीक्षा का परिणाम संप्रेषित करने का रूप तथा प्रकार का निर्णय आयोग द्वारा उनके विवेक से किया जाएगा तथा आयोग परिणाम के संबंध में किसी प्रकार का पत्र व्यवहार नहीं करेगा ।

16. उम्मीदवार को मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ और शारीरिक विकारों से मुक्त होना चाहिए जिससे सेवा के अधिकारी के रूप में उसके कार्यों के निष्पादन में व्यवधान आने की संभावना न रहे । सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, द्वारा विनिर्धारित ऐसी चिकित्सीय जांच के बाद जो उम्मीदवार इन उपेक्षाओं को संतुष्ट नहीं कर पाते, उन्हें नियुक्त नहीं किया जाएगा । उनको केओसुब परिपत्र संख्या (145) दिनांक 28.01.2009 में बताए अनुसार वर्ष 2020 (अगस्त, 2021 तक मान्य होना चाहिए) के दौरान शेष-। चिकित्सा श्रेणी में होना चाहिए ।

17. अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों की सूची आयोग द्वारा गृह मंत्रालय/महानिदेशालय, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को प्रशिक्षण और चिकित्सा जांच के लिए सहायक कमाण्डेंट (जीडी/कार्यकारी) के पद पर नियुक्ति के लिए ऑफर भेजने हेतु भेजी जाएगी । चयनित उम्मीदवार बल के प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे और दो वर्ष की परीवीक्षा पर रहेंगे ।

18. अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता अथवा यात्रा खर्च परीक्षा के किसी भी स्तर पर देय नहीं होगा।

(एम. एस. डबास)
भारत सरकार के अवर सचिव

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में सहायक कमाण्डेन्ट के पद के लिए
सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा हेतु पाठ्य विवरण तथा लिखित परीक्षा
की योजना ।

(I) लिखित परीक्षा की योजना:-

लिखित परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जायेगी जिसमें निम्नलिखित दो प्रश्न पत्र होंगे ।

प्रश्न पत्र I : सामान्य योग्यता, बुद्धिमता और व्यावसायिक कुशलता ।
(300 अंक)(150 प्रश्न)(2.30 घण्टे)

यह प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार (बहुविकल्प प्रश्न) का होगा । इसमें प्रश्न पत्र हिन्दी के साथ साथ अंग्रेजी में भी होंगे । प्रश्न पत्र निम्नलिखित दो भागों में होगा ।

भाग (क) : सामान्य योग्यता एवं बुद्धिमता (150 अंक)
(75 प्रश्न)

भाग (ख) : व्यावसायिक कुशलता (150 अंक)
(75 प्रश्न)

प्रश्न पत्र 02 निबन्ध, संक्षेपण लेखन एवं अपठित गद्यांश (100 अंक)
(2 घण्टे)

इस प्रश्न पत्र में उम्मीदवारों को निबंध अंग्रेजी या हिन्दी में लिखने का विकल्प होगा किन्तु संक्षेपण लेखन एवं अपठित गद्यांश केवल अंग्रेजी माध्यम में ही लिखने की अनुमति होगी ।

टिप्पणी-1: उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि प्रश्न पत्र-11 के उत्तर विभिन्न संघटकों के लिए, जैसा कि उपर वर्णन किया गया है, आयोग द्वारा अनुमत-माध्यम में ही लिखें । प्रश्न पत्र अनुमत माध्यम के अलावा अन्य माध्यम में उत्तर लिखने पर उसका आंकलन नहीं किया जाएगा ।

टिप्पणी-2: उम्मीदवारों को निबंध लिखने का माध्यम उपस्थिति सूची तथा उत्तर पुस्तिका में निर्दिष्ट करना होगा । यदि उम्मीदवार उपस्थिति सूची तथा उत्तर पुस्तिका में उस माध्यम से भिन्न माध्यम दर्शाता है जिसमें उसने निबंध लिखा है तो उसके निबंध का आंकलन नहीं किया जायेगा ।

टिप्पणी-3: प्रत्येक प्रश्न पत्र में अलग अलग न्यूनतम अर्हक अंक होंगे जो आयोग द्वारा निश्चित किये जायेंगे ।

टिप्पणी-4: आयोग लिखित परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों की सूची जारी करेगा । केओसुब द्वारा उन अभ्यर्थियों की पी0ई0टी0 (शारीरिक क्षमता परीक्षा) आयोजित की जाएगी और केवल उन अभ्यर्थियों जिन्होंने पी0ई0टी0 परीक्षा पास कर ली है का एम0ई0टी0 (चिकित्सा परीक्षण) किया जायेगा ।

टिप्पणी-5: जो अभ्यर्थी चिकित्सा परीक्षा और शारीरिक क्षमता परीक्षा पास कर लेते हैं उन्हें आयोग द्वारा आयोजित किए गए साक्षात्कार में शामिल होना होगा ।

यह प्रक्रिया पूर्ण होने पर अभ्यर्थियों की अंतिम मेरिट सूची तैयार की जाएगी और आगे कार्यवाही के लिए केओसुब प्राधिकारी को प्रेषित की जाएगी ।

(11) लिखित पत्रों के पाठ्यविवरण :-

प्रश्न पत्र I: सामान्य योग्यता, बुद्धिमता एवं व्यावसायिक कुशलता ।

भाग-क सामान्य योग्यता एवं बुद्धिमता:- प्रश्न पत्र में बहु-विकल्प सहित वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे जो व्यापक रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों से संबंधित होंगे ।

1. सामान्य मानसिक योग्यता

यह प्रश्न तार्किक विवेचना, मात्रात्मक अभिरूचि सहित संख्यात्मक योग्यता एवं आंकड़ा निर्वचन के परीक्षण हेतु किए जाएंगे ।

2. सामान्य विज्ञान

ये प्रश्न सामान्य विज्ञान सचेतना वैज्ञानिक प्रकृति, नये क्षेत्रों के महत्व जैसे सूचना प्राद्योगिकी जैव प्रौद्योगिकी, पर्यावरण विज्ञान सहित वैज्ञानिक घटनाओं के दैनिक प्रेक्षण की समक्ष (परिज्ञान) एवं मूल्यांकन के परीक्षण हेतु तैयार किया जाएगा ।

3. राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सम-समायिक घटनाएं

इन प्रश्नों से उम्मीदवारों के राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सम-समायिक घटनाओं से संबंधित व्यापक क्षेत्रों जैसे संस्कृति, संगीत, कला, साहित्य, खेल, शासन, सामाजिक तथा विकासात्मक पहलुओं, उद्योग, व्यवसाय भूमंडलीकरण तथा राष्ट्रों के बीच पारस्परिक प्रभाव की सचेतना के प्रति परीक्षण किया जा सकेगा ।

4. सामान्य ज्ञान

इन प्रश्नों से उम्मीदवारों से सामान्य ज्ञान तथा उससे जुड़े संबद्ध प्रश्न जैसे भारत का इतिहास, भारत और विश्व भूगोल के साथ-साथ भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था विषयों की जानकारी का परीक्षण किया जाएगा ।

भाग (ख): व्यावसायिक कुशलता ।

यह परीक्षा अभ्यर्थियों की व्यावसायिक कुशलता जो केओसुब की प्रचालात्मक और प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुरूप हो और व्यापक रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों को शामिल करती है का परीक्षण करने के लिए तैयार की गई है ।

1. **केऔसुब संबंधित व्यावसायिक योग्यता ।**

- औद्योगिक सुरक्षा
- औद्योगिक संरक्षा और अग्निशमन
- आपदा प्रबंधन
- विमानन सुरक्षा
- आसूचना और अपराध - जासूसी, विध्वंस, विद्रोही गतिविधि
- परिधि सुरक्षा
- महत्वपूर्ण संस्थापनो, डी0 ए0 ई0, मेट्रो रेल, अंतरिक्ष संस्थानों की सुरक्षा
- तकनीकी उपकरणों का प्रयोग-अलार्म, पता लगाना, घुसपैठ, आवागमन नियंत्रण, अग्नि सुरक्षा
- बम निरोधक
- वी आई पी सुरक्षा
- आंतरिक सुरक्षा और चुनाव ड्यूटी

2. **कानून**

- सीआर.पी.सी. (खोजना, जब्त करना, और गैर कानूनी सभा)
- आई.पी.सी. (चोरी, उठाईगीरी, धोखा धड़ी, भ्रष्टाचार आदि)
- साक्ष्य अधिनियम (खोजना, साक्ष्य एकत्र और जब्त करना)
- श्रम कानून (औद्योगिक विवाद अधिनियम, कार्मिक प्रतिपूर्ति अधिनियम ई.पी.एफ. अधिनियम)
- अन्य अपराधिक गतिविधियां
- मानवाधिकार

3. **कम्प्यूटर दक्षता और जागरूकता**

- कम्प्यूटर सुरक्षा
- प्रारंभिक कम्प्यूटर प्रचालन
- प्रारंभिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर

4 **सेवा नियम और एच आर मामले**

- सी.सी.ए. नियम
- केऔसुब अधिनियम और नियम
- केऔसुब से संबंधित एचआर कार्य

प्रश्न पत्र II: निबंध, अपठित गद्यांश और संक्षेपण लेखन

यह प्रश्न पत्र दिए गये निबंध के विषय पर उम्मीदवारों के विचारों को सुसंगत, क्रमबद्ध, संक्षिप्त, समझने योग्य तथा सुबोध तरीके से प्रभावी तथा वर्तनी त्रुटि रहित, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध भाषा में प्रस्तुत कर पाने की योग्यता का परीक्षण करेगा ।

इसके अतिरिक्त इस प्रश्न पत्र से उम्मीदवार की संक्षेपण लेखन (प्रेसी राईटिंग) तथा अपठित गद्यांश के लिए दिए गए पैराग्राफ को समझने तथा संक्षेपण उद्धरण का सार लिखने की निपुणता और अपठित गद्यांश उद्धरण में लघु प्रश्नों के जवाब देने की योग्यता का परीक्षण भी किया जा सकेगा ।

सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा-2021 के माध्यम से केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में सहायक कमाण्डेंट्स के पद के लिए चयनित उम्मीदवारों हेतु शारीरिक और चिकित्सा मानदंड

परिशिष्ट-(क)

(1) शारीरिक मानदण्ड : सभी वर्गों के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं निम्नानुसार हैं :

	पुरुष	महिला
लंबाई	165 से.मी. (सामान्य एवं अनुसूचित जाति)	157 से.मी. (सामान्य एवं अनुसूचित जाति)
	162.5 सेमी, (अनुसूचित जनजाति)	154 सेमी, (अनुसूचित जनजाति)
सीना (बिना फुलाए)	81 से.मी. (कम से कम 5 से.मी. फुलाव के साथ)	लागू नहीं
वजन	लंबाई के अनुरूप (सभी उम्मीदवारों के लिए)	लंबाई के अनुरूप (सभी उम्मीदवारों के लिए)
चिकित्सा श्रेणी	शेप-1	शेप-1

इसके अलावा, वजन परिशिष्ट-II। (ख) में दर्शाई गई लंबाई और वजन आयु के अनुसार होना चाहिए ।

(2) चिकित्सा मानदण्ड :

(क) आँखों की दृष्टि:

दूर दृष्टि		निकट दृष्टि	
अच्छी आंख (सही की गई दृष्टि)	खराब आंख (सही की गई दृष्टि)	अच्छी आंख (सही की गई दृष्टि)	खराब आंख (सही की गई दृष्टि)
6/6 अथवा 6/9	6/12 अथवा 6/9	जे-I (करेक्टेड)	जे-II (करेक्टेड)

उम्मीदवार में किसी भी प्रकार का भैगापन नहीं होना चाहिए और उच्च रंगदृष्टि होनी चाहिए । उम्मीदवार की इशियारा परीक्षण और एडिज-ग्रीन-लैटर्न परीक्षण द्वारा रंगदृष्टि की जांच की जाएगी । आंखों में दीप्ति, स्पष्टता के साथ-साथ कोई भी दोष/बीमारी नहीं होनी चाहिए । आंखों की पुतलियाँ पूरी तरह घुमानी हों और सभी दिशाओं में घूमने को स्वतंत्र हों । निकटदृष्टि के मामले में नेत्रबुध्द (फण्डस) परीक्षा की जायेगी और परिणाम रिकार्ड किए जाएंगे । कांटेक्ट लैन्स या लेजर शल्य चिकित्सा की अनुमति नहीं है ।

(ख) कैरिंग एंगल

कैरिंग एंगल पुरुषों के लिए 15 डिग्री और महिलाओं के लिए 20 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए ।

(ग) कान

(i) उम्मीदवार में किसी प्रकार की बधिरता नहीं होनी चाहिए या स्थायी रूप से कान बहता न हो ।

(ii) उम्मीदवार में कोई अन्य दशा (जन्मजात या उपार्जित) जैसे - मियेट्स, एक्सोस्टोसिस, नियोप्लाज्म जो कर्णमार्ग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करती हो और वृत्त या प्रत्यावर्ती कर्णशूल, कर्णस्वेण तथा भ्रमि नहीं होने चाहिए ।

(घ) नाक उम्मीदवार में डी एन एस, शोषीनाशा शोध, यक्ष्मकीय व्रण, जीर्ण वायुविवर नहीं होनी चाहिए ।

(ङ) ग्रीवा उम्मीदवार में विस्तृत लसिका पर्व, थायरायड या अन्य ग्रीवा उत्सेध (सूजन) नहीं होना चाहिए जो ग्रीवा को पूर्णरूपेण घुमाने में अक्षम या मेरूदण्ड या ग्रैव के शरूका की बीमारियों का कोई प्रमाण देते हों ।

(च) दंत उम्मीदवार में सुचारू चर्वन के लिए समुचित संख्या में पूरे दंत अवश्य होने चाहिए । उम्मीदवार में गंभीर पायरिया न हो ।

(छ) रतिज रोग उम्मीदवार में नैदानिक वीडो के सक्रिय चिन्ह नहीं होने चाहिए ।

(ज) चिरकालिक त्वचा रोग उम्मीदवार में चिरकालिक त्वचा रोग जैसे कुष्ठ, चिरकारी त्वचाशोथ, सघन तुषामशल्कन वर्सिकालर, सोरायसिस, एसएलई आदि नहीं होने चाहिए

(3) सामान्य मानदण्ड :

(क) शब्दों का उच्चारण दोष रहित अर्थात् हकलाहट के बिना होना चाहिए ।

(ख) उम्मीदवार में चिरकालिक रोग जैसे क्षय, किसी प्रकार का सन्धि शोध, उच्च रक्त दाब, मधुमेह, श्वासनिक दमा, किसी प्रकार के हृदय के लक्षण नहीं होने चाहिए ।

(ग) उम्मीदवार के शरीर में कहीं कोई ग्रन्थिल तथ प्रत्यक्ष सूजन दृष्टिगोचर नहीं होनी चाहिए ।

(घ) वक्ष सुगठित होना चाहिए, किसी प्रकार की असामान्यता अर्थात् रिकेटी गुटिका - माला दोष सहित चपटा वक्ष, कपोत वक्ष नहीं होना चाहिए । दिल एवं फेफड़े स्वस्थ होने चाहिए ।

(ङ) अंग, हस्त तथा पाद सुगठित तथा सुविकसित होने चाहिए तथा सभी संधियों की गति श्रेष्ठ होनी चाहिए ।

(च) अस्थि संबंधी कोई पुराना/कुसंयोजित अस्थिभंग नहीं होना चाहिए ।

(छ) सभी संधियों की गति अबाध तथा श्रेष्ठ होनी चाहिए ।

(ज) पाद तथा पाद के अंगूठे सुगठित होने चाहिए ।

- (झ) कोई जन्मजात कुरचना या दोष नहीं होना चाहिए ।
 - (ञ) किसी पुराने तीव्र या चिरकालिक रोग के संकेत, जिससे दोषयुक्त गठन का पता चले, नहीं होने चाहिए ।
 - (ट) उम्मीदवार को जनन मूत्र पथ का कोई रोग न हो ।
 - (ठ) उम्मीदवार को वंक्षण, वृषणेकोशीय सूजन या किसी प्रकार हर्निया न हो ।
 - (ड) (केवल पुरुषों के लिए) दोनों वृषण वृषणकोश में हैं तथा सामान्य आकार के हैं।
 - (ढ) उम्मीदवार के संघट्ट जानु, चपटे पाद, अतस्फीत शिराएं नहीं होनी चाहिएं ।
 - (ण) उनका मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम हो तथा ऐसे शारीरिक दोषों से मुक्त हो जिनसे उनके कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण निष्पादन में बाधा आने की संभावना हो ।
- (4) उम्मीदवार हृदयक्षिप्रता (नाडी दर 100 प्रति मिनट से अधिक) या हृदयमन्दता (नाडी दर 50 प्रति मिनट से कम) से पीड़ित न हो ।
- (5) उम्मीदवार हर्निया, अर्श, कॉन्डिलोमेटा मलाशय भ्रंश से पीड़ित न हो

स्पष्टीकरण:-

टिप्पणी:- 1. केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों एवं असम रायफल में राजपत्रितों एवं अराजपत्रितों की भर्ती हेतु मेडिकल परीक्षा, गृह मंत्रालय द्वारा जारी संशोधित समेकित दिशा निर्देश दिनांक 20.05.2015 के अनुसार आयोजित किया जायेगा ।

2. उम्मीदवार को चिकित्सा मानदण्ड में “योग्य” या “अयोग्य” घोषित किया जायेगा। जो उम्मीदवार चिकित्सा मानदण्ड परीक्षणों में “अयोग्य” घोषित किये जाते हैं उन्हें अपील करने पर अपीलार्थी प्राधिकारी द्वारा “समीक्षा चिकित्सा बोर्ड ” के समक्ष उपस्थित होने की अनुमति दी जायेगी।

विभिन्न आयु वर्गों तथा लंबाई के लिए पुरुष औसत शारीरिक वजन किलोग्राम में

लंबाई से.मी.	आयु वर्षों में			
	18-22	23-27	28-32	33-37
156	44-54	46-56	47-58	48-59
158	45-55	47-57	48.5-59.5	49.5-60.5
160	46-56	47.7-58.5	49.5-60.5	50.5-61.5
162	47-58	49-60	50.5-61.5	52-63
164	48-59	50-61	52-63.5	53-65
166	49.5-60.5	51.5-62.5	53-65	54.5-66.5
168	51-62	52.5-64.5	54.5-66.5	56-68
170	52-64	54-66	56-68	57.5-70.5
172	54-66	55.5-67.5	57-70	59-72
174	55-67	57-70	59-72	61-74.5
176	56.5-69	58.5-71.5	60.5-73.5	62-76
178	57.5-70.5	60-73	61.5-75.5	63.5-77.5
180	59-72	61-75	63.5-77.5	65.5-80
182	61-74.5	62.5-76.5	65-79	66.5-81.5
184	63-77	64.5-78.5	66.5-81.5	68.5-83.5
186	63.5-77.5	65.5-80.5	68-83	70-86
188	65-79	67.5-82.5	70-85.5	71.5-87.5
190	66-81	68.5-83.5	70.5-86.5	72.5-88.5

विभिन्न आयु वर्गों तथा लंबाई के लिए महिला औसत शारीरिक वजन किलोग्राम में

लंबाई से.मी.	आयु वर्षों में			
	18-22	23-27	28-32	33-37
148	34.5-42.5	37-45	38.5-47	39.5-48.5
150	36.5-44.5	37.5-45.5	39-48	40.5-49.5
153	38-46	39-48	41-50	42-51
155	38.5-47.5	40-49	41.5-50.5	43-52.5
158	40.5-49.5	42-51	43-53	44.5-54.5
160	41.5-50.5	43-52.5	44-54	45.5-54.5
163	43-52.5	44-54	46-56	47-57
165	44-54	45.5-55.5	47-58	48.5-59.5
168	45-55	47-57	48.5-59.5	49.5-60.5

- इस सारणी में केवल कुछ लंबाई (से0मी0) के संबंध में संगत शारीरिक वजन दिए गए हैं । बीच की लंबाई के संबंध में शारीरिक वजन की गणना के लिए "औसत" का सिद्धान्त प्रयुक्त किया जा सकता है ।
- सारणीबद्ध लंबाई से बाहर के औसत वजन की गणना के लिए लंबाई में प्रत्येक एक से. मी. की वृद्धि या कमी के लिए 0.71 कि.ग्रा. क्रमशः बढ़ाया या घटाया जा सकता है ।
